

प्रेषिका,

संदीपा यादव,

अपर प्रधान न्यायाधीश

पारिवारिक न्यायालय, कोर्ट सं० 02

जनपद आजमगढ़।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबंधक

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

द्वारा,

प्रधान न्यायाधीश.

पारिवारिक न्यायालय,

जनपद आजमगढ़।

विषय:- उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में शासनादेश सं०-24/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 के प्रारूप में पुरानी पेंशन योजना के विकल्प को चुने जाने के बावत प्रार्थना पत्र-महोदय,

उपरोक्त के संबंध में सादर निवेदन निम्नवत् है:-

- 1- यह कि प्रार्थिनी संदीपा यादव पत्नी श्री संतोष कुमार यादव, वर्तमान समय में अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कोर्ट सं० 02, आजमगढ़ के पद पर कार्यरत है।
- 2- यह कि प्रार्थिनी की न्यायिक सेवा में नियुक्ति दिनांक 17.06.2006 को उ०प्र० न्यायिक सेवा-2003 के अंतर्गत अपर सिविल जज (जू०डि०), फतेहपुर के पद पर जनपद न्यायालय, फतेहपुर में हुयी। उक्त पद पर प्रार्थिनी के योगदान की तिथि दिनांक 17.06.2006 है। जिसका विज्ञापन सं० ए-2/ई-1/2003 है। जिसके अनुक्रम में प्रार्थिनी वर्तमान में उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कोर्ट सं० 02 के पद पर कार्यरत है।
- 4- यह कि प्रार्थी वर्तमान में नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित है, किन्तु प्रार्थिनी उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अनुक्रम में उ०प्र० सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का वरण/चयन कर रही है। जिसके लिये प्रार्थिनी द्वारा उ०प्र० शासन के उक्त

✓

शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के संलग्नक के रूप में जारी विकल्प-पत्र को भरकर पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करते हुये, प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ आदरणीय महोदय को प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आदरणीय महोदय से अत्यन्त विनम्र निवेदन है कि उ०प्र० सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अंतर्गत "पुरानी पेंशन योजना" का लाभ प्रार्थिनी को प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 26.09.2024

भवदीया,

Sandeep Yadav
26/9/24
(संदीपा यादव)

अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक
न्यायालय, कोर्ट सं० 02 आजमगढ़।

संलग्नक:- उक्त शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/
2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित विकल्प पत्र।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय आजमगढ़।

पत्रांक सं०-

147

दिनांक- सितंबर 26, 2024

01- आदरणीय महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

[Signature]
26.09.24
प्रधान न्यायाधीश

पारिवारिक न्यायालय,

जनपद आजमगढ़।

शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11
जुलाई, 2024 का संलग्नक:-

विकल्प पत्र

क्रम सं०	नाम	संदीपा यादव
1	वर्तमान पदनाम	अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कोर्ट सं० 02
2	वेतनमान	रुपये- 167929/- प्रतिमाह
3	वर्तमान विभाग का नाम	न्याय विभाग
4	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	17.06.2006
5	राज्य सरकार के अधीन वर्तमान नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम-	न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
6	विज्ञप्ति की तिथि	22-28 नवंबर 2003 रोजगार समाचार (विज्ञापन सं०- ए-2/ई-1/2003
7	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	26.05.2006
8	योगदान की तिथि	17.06.2006
9	जन्मतिथि	31.12.1980
10	सेवानिवृत्ति की तिथि	31.12.2040

मैं, संदीपा यादव पत्नी श्री संतोष कुमार यादव शासनादेश संख्या- 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना (√)/ नवीन पेंशन योजना (x) में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूं। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाये।

हस्ताक्षर-



नाम-

(संदीपा यादव)

पदनाम-

अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक
न्यायालय, कोर्ट सं० 02, आजमगढ़।

JO CODE-UP06423

घोषणा पत्र

मैं, संदीपा यादव, अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कोर्ट सं० 02, आजमगढ़, यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-1 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-

Sandeep Yadav
25/9/24

नाम-

(संदीपा यादव)

पदनाम-

अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक
न्यायालय, कोर्ट सं० 02 आजमगढ़।

JO CODE-UP06423

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री संदीपा यादव, पदनाम अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कोर्ट सं० 02 आजमगढ़ को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना (✓)/नवीन पेंशन योजना (x)** में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति